

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि.प्रा.(II) नया अभि. –01/2015–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – भोजपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रु. 73.13 करोड़ (तीहतर करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-971, दिनांक 04.04.2016 के द्वारा राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल रु. 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत भोजपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-153, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलित राशि के आधार पर संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रु. 73.13 करोड़ (तीहतर करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृति राशि का वहन, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष - 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष- 105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या-3, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड 03-4202021050105 है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, आरा (भोजपुर) को प्रदान किया जायेगा।


5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/ विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा (भोजपुर) होंगे।

6. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, आरा (भोजपुर) से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. संस्थान की स्थापना, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक-434, दिनांक 27.06.2017 द्वारा विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरित भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर अंचल के मौजा-कस्ये आरा, थाना सं.-237, खाता नं.-1138, 1139, खेसरा नं.-3567, 3569, 3546 कुल रकबा 4.90 एकड़ भूमि पर, की जायेगी।

9. यह आदेश दिनांक 19.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-08 पर लिए गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्राक्धानानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

25.11.17
 सरकार के उप सचिव


प्रति।

आइ.टी. सैन्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय ब्यवसायिक पर अपलोड करने हेतु सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (या)/उप निदेशक (क.)/बजट सहायक/प्रतिनिधि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय आप्त

ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक- 28/10/17

सरकार के उप सचिव
 -/रू०

कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि - प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि संधारण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक-

सरकार के उप सचिव
 -/रू०

कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि - आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, मौजपुर एवं आठखक ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक-

सरकार के उप सचिव
 -/रू०

सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि - प्रधान सचिव/मुख्य वास्तुविद/अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक-

सरकार के उप सचिव
 -/रू०

प्रति।

प्रतिनिधि - कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, आरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक-

सरकार के उप सचिव
 -/रू०

बिहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, ज्ञापक - वि.प्र. (11) नया अभि. - 01/2015-2016/पटना, दिनांक-

बिहार, पटना
 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
 सरकार के उप सचिव
 (मिना आरिफ खां)
 -/रू०

बिहार राज्यपाल के आदेश से

पत्र को आवश्यकता नहीं है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार